G.C.M.S. No. – 2021/322

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

बालुलाल

बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **203** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14 SEP 2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या **RJ 09 GC 9472** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी बालूलाल पिता अर्जुनलाल जाति रेबारी निवीस केसरपुरा, धीरजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, भदेसर से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना भदेसर द्वारा पत्रांक/1678 दिनांक 05.08.2021 से टिप्पणी प्राप्त हुई एवं केस डायरी वास्ते आदेश पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करना अवगत कराया गया। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना भदेसर से प्राप्त कमेन्ट्स में उन्होने जब्तशुदा वाहन मिनी ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 9472** के संबंध में छोड दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया है। चूंकि वाहन पिकअप बोलरो संख्या **RJ 09 GC 9472** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः छः लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पेश हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़